न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक–राज0

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2015
प्रविष्टि दिनांक:– 21–12–2015

उनवान

श्योराज पुत्र रामकरण जाति पूर्तिया निवासी वन का खेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

.....प्रार्थी / रिविजनकर्ता

बनाम

1–ग्राम पंचायत रिण्डल्या रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जरिये सरपंच मंजू देवी जाखड तहसील टोडारायसिहं जिला टोंक
2–तहसीलदार, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

.....अप्रार्थीगण

रिवीजन विरूद्व नोटिस क्रमांक ग्राम पंचायत 132 दि0 20.11.2015
ग्राम पंचायत रिण्डल्या रामपुरा

उपस्थितः (1) श्री प्रमोद शर्मा, अभिभाषक–रिविजनकर्ता
(2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक प्रतिपक्षी

निर्णय

दिनांक 14.07.2016

1– संक्षेप में निगरानी प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि निगरानी कर्ता ने यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा मन रिविजनकर्ता को आबादी भूमि कृपाल भैरू पर जो प्रार्थी की दुकाने बनी हुई को अतिक्रमण मानते हुए उसे हटाये जाने का नोटिस क्रमांक 132 दिनांक 20–11–2015 दिया जिसके विरूद्व आदेश निरस्त किये जाने हेतु रिवीजन न्यायालय हाजा में पेश किया है।

2– रिवीजन प्रार्थना पत्र रिवीजनकर्ता न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस प्रतिपक्षी की तलबी की गई तथा अधीनस्थ कार्यालय पंचायत राजमहल से सम्बन्धित पत्रावली, पंचायत बैठक रजिस्टर, ग्राम सभा का रजिस्टर मंगवाया गया। प्रतिपक्षी द्वारा जवाब प्रा0 पत्र निगरानी भी पेश किया गया।

3– बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया नोटिस आधा अधूरा है, नोटिस में मन प्रार्थी ने किस खसरा नंबर पर दुकाने बना रखी है का अंकन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

नही किया है एवं उस खसरा नम्बर के संबंध में पंचायत में स्वामित्व होने बाबत दस्तावेज का उल्लेख भी नही किया है, प्रार्थी की दुकाने खसरा नंबर 45 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम वन का खेडा में है, ग्राम पंचायत के नोटिस काज जवा दि0 23.11.15 को प्रार्थी की और दिया जा चुका है जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है। उक्त ख0नं0 बाबत एक राजस्व वाद उनवानी घासीलाल बनाम राज0 सरकार मु0नं0 52/1997 चला था जिसका निर्णय एस.डी.ओ. टोडारायसिह द्वारा दि0 12.5.04 को किया गया जिसमें घासीलाल को दावा इस आधार पर खारिज किया कि ख0नं0 45 गै0मु0 आबादी (मकान) में दर्ज इसलिए राजस्व न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं है, उक्त निर्णय की कोई अपील नहीं हुई है यथावत है। तहसीलदार टोडारायसिंह उक्त आदेश पर कार्यवाही नहीं कर रहे है। उक्त ख0नं0 45 गै0मु0 आबादी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो सेटलमेन्ट के समय से है। स्वयं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने अपने निर्णय में उक्त दुकान मन रिवजिनकर्ता की बनायी हुई होना व इस पर बरसों से मेरा कब्जा होना माना है। उक्त नंबर का भूमि रूपान्तरण होकर आबादी में नामांतकरण भरा जाकर उक्त नंबर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत उक्त ख0नं0 को अपना मानकर जो कार्यवाही कर रही है व जो नोटिस प्रार्थी को दिया है वह पूर्णरूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र के बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रा0 पत्र निगरानीकर्ता स्वीकार कर, ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस व उसके तहत की जाने वाली कार्यवाही को निरस्त फरमायी जावे। अभि0 रिविजनकर्ता द्वारा अपने प्रा0 पत्र के साथ डिक्री मुकदमा घासी बनाम सरकार दि0 12.05.04,निर्णय एस.डी.ओ. टोडारायसिंह 12.05.04, रिपोर्ट पटवारी, मौका रिपोर्ट 4.4.97,नोटिस ग्राम पंचायत 20.11.15 व जमाबंदी सं0 2050–2069 की फोटो प्रति पेश की है।

4– विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या सं0 1 ने अपनी बहस में जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत रिण्डल्यारामपुरा द्वारा जो नोटिस कमांक 132 दिनांक 20.11.15 अतिक्रमी को दिया गया है वह ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से आम जनता बन का खेडा एवं ग्रामवासीयों के हित में प्रार्थी/अतिक्रमियों द्वारा किये गये ग्राम पंचायत की आबदी भूमि कृपाल भैरू पर अवैध अतिक्रमण कर दुकाने बनाने पर उक्त अतिक्रमण हटाने की शिकायत करने पर दिया गया है जो उचित है। प्रार्थी द्वारा नोटिस की अपील की गई है जो विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्तनीय है। क्योंकि नोटिस की अपील नहीं की जा सकती, नोटिस कोई आदेश अथवा सम्पूर्ण निर्णय नहीं है। ग्राम पंचायत के नोटिस में सिर्फ स्वामित्व दस्तावेज पेश करने अथवा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु ही नोटिस जारी किया गया है। अपील ही करनी थी तो ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में पारित आदेश दि0 18.12.2015 की करनी चाहिये थी। इसी आधार पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एवं ग्राम पचायत रिण्डलयारामपुरा की पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस से विदित होता है कि नोटिस सिर्फ निगरानीकर्ता को स्वामित्व संबंधी दस्तावेजात पेश करने अथवा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने बाबत दिया गया है। उक्त नोटिस कोई सम्पूर्ण आदेश नहीं है, नोटिस की अपील

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

नहीं की जा सकती। यदि विवादित दुकान से अतिक्रमण न हटाने बाबत निगरानीकर्ता के पक्ष में एस.डी.ओ. टोडारायसिंह के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित हुआ है तो उसे उसकी क्रियान्विति हेतु पृथक से कार्यवाही करनी चाहिये थी। यदि अपील ही करनी थी तो ग्राम पंचायत रिण्डल्यारामपुरा द्वारा उक्त भूमि के संबंध में जो आदेश दि0 18.05.15 के विरूद्व करनी चाहिए थी। अतः प्रार्थना पत्र रिवीजन सारहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

6— फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रिविजनकर्ता खारिज किया जाता है।

7— निर्णय आज दिनांक 14—07—2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner